अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2021 (GCMS 2020/60) RTI 212633339168343 श्री कृष्ण लाल पुत्र काशीराम निवासी वार्ड नं. 02 खिचड़ानवास, सादुलशहर – 335062 (मोबाईल नं. 96362-45677) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णलाल उपस्थित नहीं है। **मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के खिलाफ कार्यवाही की जावे और वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> सूचना का अधिकार कानून के तहत मुझे दिनांक 27.08.2020 को क्रमांक भू.ट./राज. सम्पर्क/2020/2030 के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:
>
> 1. इस प्रकरण में कार्यालय तहसील (भू.अ.) सादुलशहर ने माना है कि पेड उखाडे गये है जबकि हल्का पटवारी रमेश कुमार यादव और गिरदावर हरमेल सिंह ने झूठी रिपोर्ट पेश की। उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की विवरण दें।
> 2. रीडर शाखा को [illegible] राशि का [illegible] तैयार करने के लिए जो निर्देश दिये गये है [illegible] आधार पर, कितनी राशि और कब जमा करवाई गई [illegible] ब्यौरा देवें मय रसीद।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:23:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2021

3. लालगढ़ थाने कितनी तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई और एफ.आई.आर. नम्बर उपलब्ध करावे।।
4. एफ.आई.आर. में पटवारी और गिरदावर नामजद है क्या? अगर नही तो कारण बतायें।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक स्था./2021/1383 दिनांक 27.07.2027 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री कृष्णलाल निवासी वार्ड नम्बर 02 खिचड़ानवास द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र में चाही गई समस्त सूचनायें तहसीलदार, सादुलशहर से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/21/119 दिनांक 01.03.2021 को तहसीलदार, सादुलशहर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित कर दी गई थी (प्रति संलग्न)। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना के संदर्भ में श्रीमानजी के समक्ष प्रथम अपील दायर की गई। आपके द्वारा प्रसांगिक पत्र के द्वारा अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में अपनी टिप्पणी मय अपने कार्यालय का सम्बन्धित रिकॉर्ड भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलाथ्री की सूचना तहसीलदार, सादुलशहर से सम्बन्धित होने के कारण सम्बन्धित रिकॉर्ड मय टिप्पणी इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/[illegible] दिनांक 03.05.2021 के द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:23:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार,सादुलशहर ने अपने पत्रांक राजस्व/वृक्ष/2021/1067 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया है। जिसमें आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई समस्त सूचनायें आवेदक को प्राप्त हो गई। अब प्रार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं करनी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र संलग्न प्रेषित है।

अतः कार्यालय हाजा के कार्मिक श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक के साथ तहसीलदार, सादुलशहर का पत्रांक एवं पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं तहसीलदार, सादुलशहर के पत्र दिनांक 27.07.2021 के अनुसार दिनांक 22.06.2021 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर एवं तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:23:50 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर